रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1976/ज्येष्ठ 10, 1898

No. 102] NEW DELHI, MONDAY MAY 31, 1976/JYAISTHA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st May 1976

SUBJECT.—*Import Policy for April, 1976—March, 1977.*

No. 40-ITC (PN)/76.—Attention is invited to the import policy as Contained in the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1976—March, 1977.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1976—March, 1977 :

Page No. of the Red Book (Volume I)	Reference	Details of amendments
(1)	(2)	(3)
9	Section I, Para 66(i) (a)	The word "SIKKIM" appearing therein, may be deemed to have been deleted.
14	Section I, Para 90 (ii)—Heading.	The existing heading may be deemed to have been substitued by the following :— "State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Limited."

(1)	(2)	(3)
89	Section III, Group 'A', S. No. 18, Column 4.	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following : "CAPCO"
96	Section III, Group 'C', S. No. 31, Column 2.	The existing description of the item may be deemed to have been substitued by the following : "Phenobarbitone and its salts."
190	Section V, Appendix 19, Para 6, Item No. 12.	The existing description of the item may be deemed to have been substituted by the "Phenobarbitone and its salts."
191	Section 5, Appendix 19, Sub Para 8(b) & 8(c).	The figure Rs. 5,000 & Rs. 2,500 appearing therein may be deemed to have been substituted by Rs. 15,000 and Rs. 7,500 respectively.
222	Section V, Appendix 24, Para 5(b),	The existing para 5(b) and the entries thereunder may be deemed to have been substituted by the following :— "5(b). Requirements of actual users for Beta naphthol will be met by imports through public sector agency. Please see Section III to this Red Book."
222	Section V, Annexure to Appendix 24, List I.	The following item may be deemed to have been inserted as an additional item :— "24. 2:4 Dinitrochloro Benzene"
234	Section V, Appendix 28, List II, Item No. 74-Octanol.	The existing description may be deemed to have been substituted by the following :— "Octanol/2 Ethyl Hexanol"
236	Section V, Appendix 28, List III, Item No. 105—2 Ethyl Hexanol.	This entry may be deemed to have been deleted
305 306	Section V, Appendix 41, Schedule 'D', Group III, Item No. 37—Stainless steel/heat resisting steel (plates/sheets/strips).	The existing entry against this S. No. and the import policy as indicated therein may be deemed to have been transferred under item No. 26 in Group II in Schedule 'D' of Appendix 41.
324	Section V, Appendix 45, V Part 'A', Para 4.	The existing para may be deemed to have been substituted by the following :— "Small Scale Units which do not possess adequate machinery for manufacture of all parts required in clocks and time-pieces, may get some of the parts manufactured from other indigenous manufacturers having adequate machinery, out of the raw materials imported by them against the actual users licences release orders issued in terms of import policy laid down in this appendix, provided the production programme has been duly approved by the State D.I.
326	Section V, Appendix 45, Part 'B', Para II.	The existing para may be deemed to have been substituted by the following :— "All applications for import of raw materials for the manufacture of parts/components of watches will be considered in accordance with the phased manufacturing programme. In the case of small scale units, the phased manufacturing programme should be approved by the State D.I./DC(SSI), New Delhi. The approval of phased production programme for clocks, time-pieces by the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi, will not be necessary."

P. K. KAUL,
Chief Controller Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 मई, 1976

विषय :—अप्रैल 1976–मार्च 1977 के लिए आयात नीति ।

संख्या 40 आई टी सी (पी एम)/76—अप्रैल 1976–मार्च 1977 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०–1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1976–मार्च, 1977 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०–1) मे उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेडबुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
9	खंड-1, कंडिका 66 (1) (ए)	इसमें दिखाए गए शब्द "सिक्किम" को हटाया गया समझा जाए ।
14	खंड-1, कंडिका 90(2)-शीर्षक	वर्तमान शीर्षक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "राज्य रसायन एवं फर्मास्यूटिकल निगम भारत लि०" ।
89	खंड-3, वर्ग 'ए' क्रम संख्या 18, कालम–4	वर्तमान प्राविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए : "केपको"
96	खंड-3, वर्ग 'सी' क्रम संख्या 31, कालम–2	मद के वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "फिनोबार्बीटोन एवं इसके लवण" ।
190	खंड 5, परिशिष्ट 19, कंडिका 6, मद संख्या 12	मद के वर्तमान विवरण को "फिनोबार्बीटोन और इस के लवण" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए ।

(1)	(2)	(3)
191	खंड 5, परिशिष्ट 19, उपकंडिका 8 (बी) एवं 8 (सी)	इसमें दिखाए गए आंकड़े 5000 रुपए और 2500 रुपए को क्रमशः 15,000 रुपए और 7,500 रुपए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए ।
222	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 5 (बी)	वर्तमान कंडिका 5 (बी) और इसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "5 (बी) बीटा नेप्थोल के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को सार्वजनिक क्षेत्रअभिकरण के माध्यम से आयातों द्वारा पूरा किया जाएगा । कृपया इस रेडबुक का खंड–3 देखें" ।
222	खंड 5, परिशिष्ट 24, सूची–1	निम्नलिखित मद को अतिरिक्त मद के रूप में जोड़ा गया समझा जाए :— "24.2 : 4 डिनिट्रोक्लोरो बेन्जीन"
234	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची–2, मद संख्या 74–आक्टेनल	वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "आक्टेनल / 2 एथिल हैक्सानोल"
236	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची–3, मद संख्या 105–2 एथिल हैक्सानोल	इस प्रविष्टि को हटाया गया समझा जाए ।
305	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी'	इस क्रम संख्या के सामने वर्तमान प्रविष्टि और
306	वर्ग–3, मद संख्या 37–जगावरोधी इस्पात/ ताप रोधक इस्पात (प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स)	और इस में यथा संकेतित नीति को परिशिष्टि 41 की अनुसूची 'डी' के वर्ग-2 की मद संख्या 26 के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया गया समझा जाए ।

(1)	(2)	(3)
324	खंड 5, परिशिष्ट 45, भाग 'ए', कंडिका 4	वर्तमान कंडिका को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "वे लघु पैमाने एकक जिन के पास घड़ियाल और टाइमपीस के लिए आवश्यक सभी पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं है तो वे पर्याप्त मशीनरी के धारक देशी विनिर्माताओं से उन के द्वारा इस परिशिष्ट में यथा निर्धारित आयात नीति की शर्तों के अनुसार जारी किए गए वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस/रिहाई आदेशों के मद्दे आयातित कच्चे माल में से विनिर्मित कुछ पुर्जे प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि उत्पादन कार्यक्रम राज्य उद्योग निदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित कर दिया गया है ।
326	खंड 5, परिशिष्ट 45, भाग 'बी', कंडिका-2	वर्तमान कंडिका निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "घड़ियों के पुर्जों / संधटकों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता आवेदन पत्रों पर क्रमिक विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार विचार किया जाएगा । लघु पैमाने एककों के मामले में क्रमिक विनिर्माण कार्यक्रम राज्य उद्योग निदेशक / विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । घड़ियाल, टाइमपीस के लिए क्रमिक उत्पादन कार्यक्रम के लिए विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

पी० के० कौल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976